पंचम

छत्तीसगढ़ विधान सभा

मार्च, 2022 सत्र

वित्तीय वर्ष 2022–2023 के लिये अनुदानों की मांगों

पर

कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या– 28, 13, 14, 16, 54, 23, 45, 75, 57.

मांग संख्या– 82, 33, 41, 42, 49, 53, 64, 66, 68, 15, 83, 27, 17.

मांग संख्या– 20, 56 एवं

मांग संख्या– 11 से संबंधित

भाग - दो

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

क्र	मान. मंत्री का नाम	मांग संख्या	विवरण	
1.	**श्री रविन्द्र चौबे**	28	राज्य विधान मण्डल	**2** घंटे
		13	कृषि	
		14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	
		16	मछलीपालन	
		54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	
		23	जल संसाधन विभाग	
		45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	
		75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
		57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
2.	**डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम**	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	**2** घंटे
		33	आदिम जाति कल्याण	
		41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	
		42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल	
		49	अनुसूचित जाति कल्याण	
		53	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	
		64	अनुसूचित जाति उपयोजना	
		66	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	
		68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–भवन	
		15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	
		83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	
		27	स्कूल शिक्षा	
		17	सहकारिता	

क्र	मान. मंत्री का नाम	मांग संख्या	विवरण	
3.	**श्री गुरु रूद्र कुमार**	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	**1 घंटा**
		56	ग्रामोद्योग	
4.	**श्री कवासी लखमा**	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	**2 घंटे**

इस संकलन में छत्तीसगढ़ विधान सभा के मार्च, 2022 सत्र में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2022–2023 के आय–व्ययक के संबंध में उपर्युक्त मांग संख्याओं से संबंधित माननीय सदस्यों से प्राप्त कटौती प्रस्तावों की ग्राह्य सूचनाओं को सम्मिलित किया गया है, कटौती प्रस्तावों में आंशिक रूप में कुछ आवश्यक सुधार किये गये है।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

वित्तीय वर्ष 2022–2023 के लिये अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव भाग – दो में सम्मिलित मांग संख्याओं पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :–

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष
2. डॉ. रमन सिंह, सदस्य
3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य
4. श्री ननकीराम कंवर, सदस्य
5. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य
6. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य
7. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य
8. श्री नारायण चंदेल, सदस्य
9. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य
10. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य
11. श्री सौरभ सिंह, सदस्य
12. श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य
13. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य
14. श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य
15. श्री विद्यारतन भसीन, सदस्य
16. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य
17. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य
18. श्रीमती इन्दू बंजारे, सदस्य

मांग संख्या– 28

राज्य विधान मण्डल

मतदेय राशि रूपये 69,43,60,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 47

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

संसदीय कार्य विभाग के आधुनिकीकरण हेतु एवं संचालन हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 13

कृषि

मतदेय राशि रूपये 53,06,59,32,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 14

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) पैडी ट्रांसप्लांट मशीन से धान रोपाई उन्नत तकनीकी के उपयोग को बढ़ावा देने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) जैविक खाद्य के क्षेत्र में कृषकों को स्वावलंबी बनाने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

(3) बीजोत्पादन को व्यवसाय के रूप में स्थापित करने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

(4) प्रत्येक विकासखण्ड में कोल्ड स्टोरेज खोले जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) प्रत्येक ब्लॉकक में कोल्ड स्टोरेज के लिए पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) रबी फसल के धान को खरीदने का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) प्रत्येक विकासखंड में बंजर भूमि पर उद्यानिकी पायलट प्रोजेक्ट की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

(8) पथरिया में कृषि अनुसंधान केन्द्र खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(9) किसानों के ऋण का पूर्ण कर्ज माफी का कोई उल्लेख नहीं है।

2. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) सब्जियों का समर्थन मूल्य का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) तिलहन–दलहन के कृषि क्षेत्र बढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) किसानों की आमदनी दोगुनी करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) आत्महत्या करने वाले किसान परिवार को जीवकोपार्जन की व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) बेमौसम बारिश ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) स्कूलों में कृषि शिक्षा प्रारंभ करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(8) वाणिज्यिक खेती को बढ़ावा देने कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(9) कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा देने का कोई उल्लेख नहीं है।

(10) किसानों को कृषि यंत्र अनुदान हेतु उपयुक्त प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

(11) कृषि क्षेत्र में रोजगार देने का कोई उल्लेख नहीं है।

(12) किसानों के खाते में सबसिडी देने का कोई उल्लेख नहीं है।

(13) प्रत्येक ब्लॉक कोल्ड स्टोरेज हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(14) मंडी विकास समिति गठन का कोई उल्लेख नहीं है।

(15) प्रत्येक ब्लॉक पर 100 एकड़ जमीन पर उद्यानिकी की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं हैं

(16) किसानों के राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्जमाफी का कोई उल्लेख नहीं है।

(17) पिछले तीन सालों में बढ़ी धान एम.एस.पी. को देने का कोई उल्लेख नहीं है।

(18) 2 साल से धान के बकाया बोनस देने का कोई उल्लेख नहीं है।

(19) रबी फसल के धान खरीदने का कोई उल्लेख नहीं है।

(20) किसानों के एक–एक दाना धान खरीदने के लिए कोई उल्लेख नहीं है।

(21) किसानों के फसल उत्पादन वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है।

(22) किसानों को किफायती दाम पर खाद बीज देने का कोई उल्लेख नहीं है।

(23) फसल परिवर्तन हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

(24) रायपुर में किसान के लिए वृहद विश्राम गृह का कोई उल्लेख नहीं है।

(25) किसान मेला आयोजन हेतु पट्टी में कृषक मेला परिसर निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(26) किसानों की मौत पर 50–50 लाख मुआवजा राशि देने का कोई उल्लेख नहीं है।

(27) 60 साल से अधिक उम्र के किसानों की पेंशन देने का कोई उल्लेख नहीं है।

(28) किसानों के दीर्घकालीन/मध्यकालीन ऋण माफी के लिए का कोई उल्लेख नहीं है।

(29) टपक सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देने का कोई उल्लेख नहीं है।

(30) 51 हजार किसानों को स्थायी पंप कनेक्शन देने उपयुक्त बजट का कोई उल्लेख नहीं है।

(31) शाकम्भरी योजना के लिए पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(32) किसान पेंशन योजना लागू करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(33) फूलवारी योजना हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(34) नकली खाद बीज बेचने वालों पर कार्यवाही करने का कोई उल्लेख नहीं है।

3. श्री पुन्नूलाल मोहले , सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) किसानों को पिछले 2 वर्षो के धान का बोनस राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) मुंगेली विधानसभा में कोल्ड स्टोरेज खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) किसानों को मुफ्त सिंचाई पंप कनेक्शन प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) मुंगेली विधानसभा में पीला कुसुम योजनांतर्गत सोलर सिंचाई पंपों की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) मुंगेली विधानसभा शार्य सुजला योजना अंतर्गत सोलर सिंचाई पंपों की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

4. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) फसल की अधिक उत्पादन हेतु पर्याप्त राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) मुख्यमंत्री मितान योजना के लिये पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(3) परम्परागत कृषि विकास योजना के लिये पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

5. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

ग्राम–कौहाबांधा, विकासखण्ड–लोरमी, जिला–मुंगेली में उद्यानिकी महाविद्यालय प्रारंभ करने का कोई उल्लेख नहीं है।

6. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) प्रदेश के किसानों के दयनीय स्थिति सुधारने कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(2) किसानों के दीर्घकालीन कृषि ऋणमाफी का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(4) प्रदेश के किसानों के लिए किसान पेंशन योजना लागू करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) प्रदेश के प्रत्येक गांवों में कोल्ड स्टोरेज के लिए अनुदान राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) प्रदेश में शाकम्भरी योजना के लिए पर्याप्त राशि प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) आत्महत्या से पीड़ित किसान परिवारों को सहायता प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(8) प्रदेश के किसानों को मुफ्त कृषि उपकरण प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

(9) प्रदेश के किसानो द्वारा सेट साहूकारों के लिए गए ऋण को माफ करने का उल्लेख नहीं है।

(10) प्रदेश के किसानों को फसल बीमा क्षतिपूर्ति दिलाने की योजना का उल्लेख नहीं है।

(11) प्रदेश के प्रत्येक विकासखण्ड में कोल्ड स्टोरेज खोले जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(12) फूलवारी योजना हेतु पर्याप्त राशि प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(13) नकली खाद बेचने वालो पर कार्यवाही करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(14) प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में बंजर भूमि उद्यानिकी योजना प्रारंभ करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(15) नकली बीज बेचने वालो पर कार्यवाही करने पर कोई उल्लेख नहीं हैं

(16) भाटापारा विधानसभा क्षेत्र की शिवनाथ नदी से पंप द्वारा किसानों को सिंचाई देने कोई उल्लेख नहीं है।

(17) टपक पद्धति के बढ़ावा देने का कोई उल्लेख नहीं है।

(18) कृषक ऋण ब्याजदर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज अनुदान का कोई उल्लेख नहीं है।

7. **श्री ननकीराम कंवर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

राज्य में कृषि का रकबा बढ़ाने हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

8. **श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) किसानों को निःशुल्क कृषि उपकरण प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) रबी फसल के धान को खरीदने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) किसान पेंशन योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) प्रदेश में किसान आयोग गठन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

9. **श्री विद्यारतन भसीन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) किसान पेंशन योजना लागू करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) रबी फसल की धान को खरीदने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) आत्महत्या से पीड़ित किसान परिवारों को सहायता प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

10. श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) रबी फसल की धान को खरीदने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) सोलर पंप प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) बिन्द्रानवागढ़ विधानसभा के किसानों को निःशुल्क कृषि उपकरण उपलब्ध कराने का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) आत्महत्या से पीड़ित किसान परिवारों को सहायता प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) देवभोग, जिला–गरियाबंद में उद्यानिकी महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

11. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

आत्महत्या से पीड़ित किसान परिवारों को सहायता प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

12. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत क्षेत्रों में सौर ऊर्जा संबंधित कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 14

पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि रूपये 4,68,88,07,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 35

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) ग्राम–परसदा में पशु औषधालय खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) लावारिस मवेशियों के विषय का प्रावधान नहीं है।

(3) ग्राम–पंचायत रहंगी में पशु औषधालय खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) मोबाईल पशु चिकित्सा यूनिट चलाये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

2. श्री बृजमोहन अग्रवाल : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) असफल गौठान योजना को सफल बनाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(2) लावारिस पशुओं से कृषि को सुरक्षा हेतु का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(3) गौठान में गाय के लिए चारे का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) डेयरी कृषकों को डेयरी हेतु 50 प्रतिशत सबसिडी का कोई प्रावधान नहीं है।

(5) निजी पशुओं के बीमा के लिए योजना का कोई प्रावधान नहीं है।

(6) गौ सेवकों को कलेक्टर दर पर वेतनमान देने का कोई प्रावधान नहीं है।

(7) गायों के चारे हेतु व गौठानों से गौचर भूमि से अवैध कब्जा हटाने कोई योजना का प्रावधान नहीं है।

(8) गौशालाओं को समय पर अनुदान मिलने का कोई प्रावधान नहीं है।

(9) दुग्ध सहकारी समितियों को उन्नत नस्ल की दुधारू गायें उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं है।

3. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

मुंगेली विधानसभा के ग्राम–चकरभठ्ठा में शासकीय पशु औषधालय का कोई प्रावधान नहीं है।

4. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) पशुपालन हेतु पूंजी परिव्यय की राशि तथा पोषाहार के लिए पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(2) पशु औषधालय एवं चिकित्सालय हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(3) राज्य पोषित डेयरी उद्यमिता विकास योजना में पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) कामधेनु पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(5) पशु रोग नियंत्रण के लिए पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(6) गहन पशु विकास परियोजना हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

5. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रत्येक विकासखण्ड में दुग्ध सहकारी समिति के गठन का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश में पशुधन तस्करी रोकने व तस्करों पर कठोर कार्यवाही हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश में गौशालाओं में विकास हेतु पर्याप्त राशि प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) भाटापारा तथा सिमगा में नवीन पशुपालन केन्द्र की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) चरवाहा समुदाय को रोजगार प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) लावारिस मवेशियों के लिए कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) प्रदेश के समस्त गौठानों में गायों की चिकित्सा सुविधा बढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(8) भाटापारा में नवीन पशु चिकित्सालय भवन निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

6. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

ग्राम–राम्हेपुर (एन) विकासखण्ड–लोरमी, जिला–मुंगेली में दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय की स्वीकृति का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

7. श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) कुक्कुट विकास हेतु राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) गौशालाओं में गायों की उचित देख–रेख का कोई उल्लेख नहीं है।

8. श्री विद्यारतन भसीन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

वैशाली नगर भिलाई में नवीन पशु औषधालय भवन निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

9. श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बिन्द्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पशु औषधालयों में रिक्त चिकित्सकों की भर्ती करने का कोई उल्लेख नहीं है।

10. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जिला–बलौदाबाजार में पशुपालन विभाग में भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ब्लॉक तिल्दा के पशुपालन विभाग हेतु ऑफिस में

11. श्रीमती इन्दू बंजारे, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम–पंचायत कोसीर में दुग्ध संग्रहण केन्द्र खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 16

मछली पालन

मतदेय राशि **रूपये 83,82,56,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 36

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

ग्राम–पंचायत बेलटुकरी अजित ग्राम–मटियारी हेचरी केन्द्र खोलने का कोइळ उल्लेख नहीं है।

2. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) मछली पालन सुविधा के लिए पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं किया गया है।

(2) मछुवारों के कल्याण हेतु कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(3) नील क्रांति योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

3. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) सहकारी मीन समिति के लिये पर्याप्त राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) मछली पालन हेतु सहकारी मीन समिति के लिये पर्याप्त राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) नील क्रांति अंतर्गत मत्स्य पालन के विकास एवं प्रबंधन के लिये पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

4. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) भाटापारा विधानसभा में मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिये पर्याप्त राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश के मछलीपालकों को उन्नत बीज व जाल देने का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) प्रदेश के मछलीपालकों को हाईटेक प्रशिक्षण देने का कोई उल्लेख नहीं है।

5. **श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) मछली पालन प्रसार हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) मछली पालन को बढ़ावा देने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 54

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 2,72,00,12,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 14

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) बिल्हा विधानसभा के किसानों को नई तकनीक से प्रशिक्षण प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) कृषि वैज्ञानिकों को अनुसंधान बढ़ावा दिये जाने का बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

(3) बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में नवीन कृषि महाविद्यालय प्रारंभ करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) बिल्हा विधानसभा में उद्यानिकी महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) ग्राम पंचायत हथनी, विकासखण्ड–बिल्हा, जिला–बिलासपुर में हॉर्टिकल्चर महाविद्यालय खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

2. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) कृषि अनुसंधान को उन्नत करने का उल्लेख नहीं है।

(2) तिलहन दलहन के अनुसंधान हेतु राशि नहीं है।

(3) कृषि पूंजी के लिए पर्याप्त राशि नहीं है।

3. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) कृषि अनुसंधान और शिक्षा हेतु राशि की कटौती की गई है।

(2) कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के लिये पर्याप्त राशि नहीं दिया गया है।

(3) कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित परिव्यय की राशि शिक्षा हेतु पर्याप्त नहीं है।

4. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) प्रदेश के कृषि वैज्ञानिकों को अनुसंधान बढ़ावा दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) कृषि औद्योगिक निगम के गठन का उल्लेख नहीं है।

(3) कृषि वैज्ञानिकों को सर्व सुविधायुक्त लैब की सुविधा देने का प्रावधान नहीं है।

(4) प्रदेश में नवीन कृषि महाविद्यालय बनाने का प्रावधान नहीं है।

(5) किसानों को हर विकासखण्ड में कृषि शिक्षा देने का प्रावधान नहीं है।

(6) भाटापारा कृषि महाविद्यालय में 50 सीटर छात्रावास तथा लैब स्थापना का उल्लेख नहीं है।

(7) कृषि शिक्षा और अनुसंधान में छत्तीसगढ़ के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय नहीं है।

5. **श्री विद्यारतन भसीन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में उद्यानिकी महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 23

जल संसाधन विभाग

मतदेय राशि **रूपये 11,82,59,73,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 31

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बारगांव जलाशय का उन्नयन व नहरों का मजबूतीकरण कार्य का उल्लेख नहीं है।

(2) रामबोड जलाशय का उन्नयन व नहरों का मजबूतीकरण कार्य का उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश में नदियों के किनारे के बहाव को रोकने हेतु कोई प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

(4) रामबांड़ जलाशय गहरीकरण का कोई प्रावधान नहीं है।

(5) बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में स्टॉपडेम का कोई उल्लेख नहीं है।

2. डॉ. रमन सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) राजनांदगांव नगर निगम को अमृत मिशन के तहत खरखरा बांध से जल प्रदाय करने के संबंध में चर्चा का उल्लेख नहीं है।

(2) राजनांदगांव जिले में मृत प्रायः थानपुरी डायवर्जन योजना को पुनर्जीवित करने का उल्लेख नहीं है।

(3) जिला कबीरधाम में कर्रा नाला बैराज के विस्तार एवं जीर्णोद्धार संबंधी करने का उल्लेख नहीं है।

(4) राजनांदगांव जिले के ग्राम नवागांव (मुढ़ीपार) में मुढ़ीपार बांध के टूटे हुए बांध की मरम्मत के संबंध में उल्लेख नहीं है।

3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) सिंचाई क्षेत्र दुगुना करने पर्याप्त बजट नहीं है।

(2) सिंचाई पम्प कनेक्शन हेतु लक्ष्य निर्धारित नहीं है।

(3) बोधघाट परियोजना को लेकर पर्याप्त बजट नहीं है।

(4) नदियों की जोड़ने के लिए कोई योजना नहीं है।

(5) नदियों के गहरीकरण के लिए प्रावधान नहीं है।

(6) वृहद सिंचाई योजना हेतु राशि नहीं है।

(7) हसदेव बांगो परियोजना हेतु पर्याप्त राशि नहीं है।

(8) अंतर्राज्यीय जल विवाद निवारण हेतु कोई कार्ययोजना नहीं है।

(9) जल संसाधन नीति नहीं है।

(10) वर्षा जल संचय हेतु योजना नहीं है।

(11) नदियों के कटाव रोकने उल्लेख व योजना नहीं है।

(12) अरपा भैंसाझार परियोजना कब तक पूरा होगा उल्लेख नहीं है।

(13) कोडार परियोजना के लिए पर्याप्त राशि नहीं है।

4. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

पूर्व बजट में स्वीकृत मुंगेली विधानसभा के ग्राम आमोरा से चितावर के बीच मनियारी नदी में प्रशासनिक स्वीकृति का अभाव है।

5. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) महानदी परियोजना एवं सोंढूर परियोजना के लिये राशि कम है।

(2) वृहद सिंचाई हेतु प्राप्त राशि अपर्याप्त है।

(3) एच.पी. के लिये कृषि पम्पों के लिये राशि अपर्याप्त है।

(4) फसल बीमा हेतु राशि राज्यांश राशि अपर्याप्त है।

(5) झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में पेयजल तथा स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु पर्याप्त राशि प्रदान नहीं की गई है।

(6) बस्तर आवर्धन जल प्रदाय योजना के लिये राशि में कटौती की गई है।

6. श्री ननकीराम कंवर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

राज्य में नहरों की संख्या तथा लाईनिंग बढ़ाने हेतु पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।

7. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) भाटापारा शाखा नहर के अंतिम छोर तक लाईनिंग कार्य का प्रावधान नहीं है।

(2) सिंचाई क्षमता 3 वर्षों में दुगनी नहीं हो पायी है।

(3) भू–जल स्तर को बढ़ाने हेतु कोई नवीन कार्ययोजना नहीं है।

(4) जर्जर एनीकटों का सर्वेक्षण तथा सुधार कार्य कराना आवश्यक है।

(5) बलौदाबाजार भाटापारा जिले के भाटापारा व सिमगा विकासखंड में सिंचाई परियोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) बोधघाट परियोजना हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

8. श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) सिंचित क्षेत्र को दो गुना करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) वर्षा जल प्रबंधन की योजना का उल्लेख नहीं है।

(3) सिंचाई क्षमता बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

(4) सतही जल हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

9. श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) विकासखण्ड बलौदा के ग्राम डोंगरी में हसदो बांगो मिनीमाता परियोजना के तहत नहर निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(2) अकलतरा विकासखण्ड के ग्राम बरबसपुर स्थित लघु सिंचाई बांध का गहरीकरण एवं जीर्णोद्वार का उल्लेख नहीं है।

(3) अकलतरा एवं बलौदा विकासखण्ड के किसानों को स्थाई बिजली पम्प प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

(4) अकलतरा विधान सभा के विकासखण्ड बलौदा में उद्वहन सिंचाई के लिये 63 के.व्हीं. के स्थान पर 100 के.व्ही. का ट्रांसफार्मर स्थापित करने का उल्लेख का उल्लेख नहीं है।

10. श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) खुमड़ी खुर्द तीन नदी के तटबंध का उल्लेख नहीं है।

(2) जड़जड़ा विकासखण्ड गरियाबंद तटबंध का उल्लेख नहीं है।

(3) उदंती पर बांध बनाने का उल्लेख नहीं है।

(4) सलप नाला, विकासखण्ड मैनपुर पर डेम बनाने का उल्लेख नहीं है।

11. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के तिल्दा ब्लॉक के मोहगांव (मोहदी के) बगदई बांध व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।

(2) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तिल्दा ब्लॉक के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कोहका में जल समस्या का प्रावधान नहीं है।

(3) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तिल्दा ब्लॉक के ग्राम टण्डवा के स्टापडेम जीर्णोद्धार करने का उल्लेख नहीं है।

12. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

मुख्य जल प्रदाय नहर के आर.डी. 3600 में पूल निर्माण की स्वीकृति नहीं मिली है।

13. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

अहिरन नदी से खारंग जलाशय में पाईप लाईन द्वारा पानी लाने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 45

लघु सिंचाई निर्माण कार्य

मतदेय राशि रूपये 7,59,65,33,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –31

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) विधानसभा क्षेत्र बिल्हा में लघु सिंचाई योजना हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) ग्राम–पंचायत कड़ार बंधुवा तालाब में काडा नाली निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

2. डॉ. रमन सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

राजनांदगांव जिले की ग्राम–पंचायत जंगलेश्वर के भोखला एनीकट काजवे प्रोटेक्शन कार्य पूर्ण होने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) रायपुर खारून नदी में रिवरफंड के लिए कोई योजना का उल्लेख नहीं किया गया है।

(2) डेम/जलाशय/एनीकट से शिल्ड निकालने की कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(3) लघु सिंचाई योजना के लिए पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) किसानों को कृषि पंप के स्थायी कनेक्शन हेतु बजट में पर्याप्त व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है।

4. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) मुंगेली विधानसभा के ग्राम–बरदुली, विकासखण्ड–पथरिया में एनीकट/पुलिया निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) मुंगेली विधानसभा के ग्राम–रौनाकापा एवं घुठेली के मनियारी नदी पर एनीकट/पुलिया निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) मुंगेली विधानसभा के ग्राम–हथनी, बरदुली के बीच रहन नालों पर एनीकट/पुलिया निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) मुंगेली विधानसभा के ग्राम–ढ़ोढ़मा के हाथी नालों पर पीचिंग कार्य एवं एनीकट/पुलिया निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।

(5) वर्ष 2020–21 के बजट में शामिल खुड़ियाबांध डी–2 नहर नाली से धनगांव दशरंगपुर खैरझिटी तक के विस्तार हेतु प्रशासकीय स्वीकृति का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) मुंगेली विधानसभा के दशरंगपुर के हाथी नालों पर एनीकट एवं पुलिया निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) मुंगेली विधानसभा विकासखण्ड–पथरिया के ग्राम–खम्हरिया की रहन नदी पर एनीकट एवं पुलिया निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(8) मुंगेली विधानसभा विकासखण्ड–पथरिया के ग्राम–मोतिमपुर के रहन नालों पर एनीकट एवं पुलिया निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

5. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) लघु सिंचाई योजना हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) जल संसाधन विभाग से संबंधित वृहद सिंचाई पर पूंजी परिव्यय की पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) मध्यम सिंचाई और लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय की पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) डांडपानी जलाशय हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

6. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) जिला–मुंगेली, तहसील–लोरमी के ग्राम–तोलियापुरान में बह रहे नाले के कारण आदिवासी मोहल्ले में हो रहे भयंकर कटाव को रोकने रिटर्निंग वॉल बनाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(2) जिला–मुंगेली, तहसील–लोरमी के ग्राम–नेवरा घाट में मनियारी नदी पर एनीकट का निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

7. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) किसानों को नदी से सिंचाई हेतु पक्की गलियों का निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश के लघु सिंचाई हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) सतही जल हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) प्रदेश के जलाशयों के गहरीकरण एवं नहर मरम्मत कराने का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) प्रदेश के सुदुर ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था हेतु बजट का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) भाटापारा विधानसभा के नहरों के गहरीकरण एवं मरम्मत कार्यों को कराने का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) भाटापारा विधानसभा क्षेत्र में लघु सिंचाई योजना हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(8) प्रदेश के नहरों तथा नालों के मरम्मत हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(9) शिवनाथ नदी एनीकट के सुधार संरक्षण हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

8. श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड बलौदा के ग्राम–उसलानुर के उद्वहन सिंचाई योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

9. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बलौदा ब्लॉक में पक्की नाली के विस्तार का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बलौदा ब्लॉक ग्राम–मेंढ में पक्की नाली के विस्तार का कोई उल्लेख नहीं है।

10. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बेलतरा विधानसभा के एनीकट रोडो की मरम्मत कार्य हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने का कोई उल्लेख नहीं है।

11. श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम–डुडगा में एनीकट निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 75

जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

मतदेय राशि **रूपये 6,89,71,00,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 31

1. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   जल संसाधन विभाग अंतर्गत सिंचाई हेतु लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय पर पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

2. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) प्रदेश के नाबार्ड से सहायता प्राप्त जलाशयों के विकास का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

   (2) प्रदेश के नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधी कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

3. **श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   बलौदाबाजार विधानसभा के अंतर्गत बलौदा ब्लॉक ग्राम–देवरी में पक्की नाली के विस्तार का कोई प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या– 57

जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

मतदेय राशि रूपये 2,00,00,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –31

कोई भी कटौती प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये है।

मांग संख्या– 82

अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

मतदेय राशि **रूपये 5,78,92,33,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –49

श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

अनुसूचित जनजाति उपयोजनांतर्गत पर्याप्त राशि की व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 33

आदिम जाति कल्याण

मतदेय राशि **रूपये 52,24,66,46,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 25

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) ग्राम त्रिभुवनपुर, पथरिया जिला मुंगेली मंगल भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) ग्राम ढोढापुर/खपरी पथरिया जिला मुंगेली में सामुदायिक भवन/कक्ष निर्माण का उल्लेख नहीं है।

   (3) ग्राम चुराघाट/उड़नताल, बिल्हा, जिला बिलासपुर में सतनाम समाज के सामुदायिक भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

   (4) पथरिया में पोस्ट मेट्रिक छात्रावास अनुसूचित जाति वर्ग हेतु खोलने का उल्लेख नहीं है।

   (5) पथरिया में प्री मेट्रिक छात्रावास अनुसूचित जाति वर्ग हेतु खोलने का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) अनुसूचित जनजाति कल्याण की कोई उपयुक्त योजना नहीं है।

   (2) छात्रावासों में अव्यवस्था रोकने कोई प्रावधान नहीं है।

3. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों के विकास हेतु राशि की कटौती की गई है।

4. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) भाटापारा विधानसभा के पटपर में संचालित आदिवासी छात्रावास में पर्याप्त सुविधाओं का उल्लेख नहीं किया गया है।

   (2) अनुसूचित जनजाति वर्ग का सिमगा, भाटापारा में नवीन पोस्ट मैट्रिक छात्रावास निर्माण का कोई प्रावधान नही है।

   (3) अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।

   (4) अनुसूचित जनजातियों के लिए ग्रामोद्योग एवं लघु उद्योगों के प्रशिक्षण हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

   (5) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु योजनाओं के प्रभावी कियान्वयन का प्रावधान नहीं है।

   (6) आदिवासी क्षेत्रों में शासन की नवीन योजनाओं का लाभ पहुंचाने हेतु योजना का प्रावधान नहीं है।

   (7) अनुसूचित जनजाति के बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु बजट का उल्लेख नहीं है।

   (8) अनुसूचित जाति, जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों अव्यवस्थाओं को रोकने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(9) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

(10) सामान्य शिक्षा में निर्देशन और प्रशासन के लिए बहुत कम राशि का प्रावधान है।

5. श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खैजा में छात्रावास/आश्रम का उल्लेख नहीं है।

(2) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम केराकधर में एकलव्य विद्यालय हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

6. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अनुसूचित क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास हेतु पर्याप्त राशि आवंटन का उल्लेख नहीं है।

(2) अनुसूचित जाति बाहुल्य गाँवों के विकास हेतु पर्याप्त राशि देने का उल्लेख नहीं है।

(3) बेलतरा विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र–छात्राओं के लिए कोचिंग सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, खेल सुविधा से बढ़ावा देने वाले मॉडल छात्रावास निर्माण का जिक्र नहीं है।

(4) बेलतरा विधानसभा के जनजातीय बाहुल्य गाँवों के सर्वांगीण विकास का उल्लेख नहीं है।

(5) अनुसूचित जनजाति के कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कियान्वयन का उल्लेख नहीं है।

7. श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

पामगढ़ में प्री मैट्रिक बालक छात्रवास एवं कन्या छात्रावास के भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 41

अनुसूचित जनजाति उपयोजना

मतदेय राशि रूपये 1,92,90,96,27,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 49

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के छात्रों के प्रशिक्षण हेतु बजट में पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।

2. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) अनुसूचित जनजाति वर्ग का रायपुर दलित विधानसभा में पोस्ट मैट्रिक छात्रावास निर्माण का उल्लेख नहीं है।

   (2) आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त राशि नहीं है।

3. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) सूचना और प्रचार हेतु राशि की कटौती की गयी है।

   (2) अनुसूचित जनजाति उपयोजनांतर्गत हाथकरघा उद्योग के लिये पर्याप्त राशि नहीं है।

   (3) सामान्य शिक्षा हेतु सरकारी कॉलेज और संस्थाओं के लिये राशि अपर्याप्त है।

   (4) मुक्ताकाश संग्रहालय हेतु राशि के कटौती की गई है।

   (5) मध्यम परियोजनाओं निर्माण कार्य में बांध एवं नहर तथा क्षतिपूर्ति हेतु राशि में कटौती की गई है।

4. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के पटपर में अनुसूचित जनजाति नवीन छात्रावास खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

   (2) अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के छात्रों के प्रशिक्षण हेतु बजट में पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

   (3) आदिवासी क्षेत्रों में सूचना केम्प के लिए बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

   (4) अनुसूचित जाति क्षेत्रों में नवीन स्वास्थ्य हेतु पर्याप्त बजट का प्रावधान नहीं है।

5. **श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र विकास हेतु राशि उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

6. **श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अनुसूचित जनजाति उपयोजना विकास संबंधित उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 42

अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल

मतदेय राशि रूपये 12,38,16,06,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 49

कोई भी कटौती प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं।

मांग संख्या– 49

अनुसूचित जाति कल्याण

मतदेय राशि **रूपये 5,26,10,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 25

1. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   विशेष कोचिंग केन्द्र योजना हेतु राशि कम है।

2. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु राशि बहुत कम है।

   (2) अनुसूचित जनजाति के बालक–बालिकाओं के उच्च शिक्षा का उल्लेख नहीं है।

   (3) अनुसूचित जनजाति के बालिकाओं के विकास की योजनाओं का प्रावधान नहीं है।

   (4) गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को पर्याप्त सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

   (5) अनुसूचित जाति क्षेत्रों के विकास पर पर्याप्त बजट राशि आबंटन का प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या– 53

अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

मतदेय राशि **रूपये 80,99,40,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 50

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   विधान सभा क्षेत्र बिल्हा में अनुसूचित जाति छात्रावास खोलने का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   अनुसूचित जनजाति के छात्र एवं बालिकाओं के स्कूल छात्रावास के विकास योजनाओं का उल्लेख नहीं है।

3. **श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   अनुसूचित जनजातियों उपयोजन अंतर्गत नगरीय निकायों को राशि उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 64

अनुसूचित जाति उपयोजना

मतदेय राशि **रूपये 62,68,38,47,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 50

1. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) स्वामी विवेकानंद ज्ञानदीप योजना हेतु राशि पर्याप्त नहीं है।

   (2) शहरी तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में जल प्रदाय योजना और बड़े शहरों के जल निकाय योजना का सर्वेक्षण हेतु प्राप्त राशि कम है।

   (3) बांध तथा संलग्न कार्य हेतु राशि की कटौती की गई है।

   (4) नगरीय निकायों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का बायोमैट्रिक पद्धति अनुदान अत्यधिक कम है।

2. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) स्वामी विवेकानंद ज्ञानदीप योजना के लिए राशि का प्रावधान नहीं है।

   (2) अनुसूचित जाति वर्ग के लिए स्कूल शिक्षा हेतु बजट का कोई प्रावधान नहीं है।

   (3) अनुसूचित जाति, जनजाति कार्यालयों की इमारतों हेतु राशि का प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या– 66

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण

मतदेय राशि रूपये 2,53,71,30,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 25

1. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) पिछड़े वर्ग के छात्र–छात्राओं हेतु रायपुर दक्षिण विधानसभा में छात्रावास खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) पिछड़े वर्ग के लोगों को केन्द्र के वर्गवार आरक्षण का उल्लेख नहीं है।

(3) अन्य पिछड़े वर्ग के बच्चों के पढ़ाई हेतु छात्रवृत्तियां एवं अन्य काम का बजट में उल्लेखित नहीं है।

(4) अनुसूचित जाति के भूमिहीन एवं अन्य पिछड़े वर्ग को पट्टा वितरण का उल्लेख नहीं।

2. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) युवा कैरियर निर्माण योजना हेतु राशि बहुत ही कम है।

(2) केंद्रीय क्षेत्रीय योजना छात्रवृत्तियों के लिये राशि ही नहीं है।

3. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) पिछड़े वर्ग के विकास हेतु क्रियान्वयन का उल्लेख नहीं है।

(2) छात्रवृत्तियां एवं अन्य लाभ हेतु पर्याप्त राशि का अभाव है।

(3) पिछड़े वर्ग के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।

(4) अल्पसंख्यक कल्याण हेतु मुक्तिधाम निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(5) अल्पसंख्यक कल्याण हेतु पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।

(6) अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक के लिये बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

4. **श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

पिछड़े वर्ग के कल्याण कार्यक्रमों का उल्लेख नहीं है।

5. **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

धमतरी जिले में पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास हेतु प्रावधान नहीं है।

6. **श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण हेतु कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 68

अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–भवन

मतदेय राशि **रूपये 1,28,76,33,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 49

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) ग्राम पंचायत पत्थरखान, विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर में सर्व सुविधायुक्त आदिवासी भवन निर्माण का प्रावधान नहीं है।

(2) ग्राम पंचायत मोहभट्ठा, विकासखण्ड पथरिया, जिला मुंगेली में सर्व सुविधायुक्त आदिवासी भवन निर्माण का प्रावधान नहीं है।

2. श्री बृजमोहन अग्रवाल सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय में छात्रावास आरंभ करने का उल्लेख नहीं है।

(2) शैक्षणिक संस्थाओं के भवन निर्माण हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

(3) अनुसूचित जनजाति वृहद निर्माण कार्यों के लिए बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

(4) अनुसूचित जनजाति वर्ग की संस्कृति हेतु भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

3. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) विवेकानंद गुरूकुल के उन्नयन हेतु राशि कम है।

(2) प्रदेश के अनुसूचित जनजाति उपयोजना अंतर्गत स्कूलों के भवनों के लिये राशि कम है।

4. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय में छात्रावास भवन निर्माण का प्रावधान नहीं है।

(2) अनुसूचित जनजाति वर्ग की संस्कृति हेतु भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(3) शैक्षणिक संस्थाओं के भवनों का निर्माण हेतु पर्याप्त राशि का अभाव है।

(4) अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लिए आवास हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(5) भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के अनेकों ग्रामों में सर्वसुविधायुक्त आदिवासी भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

5. श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) हायर सेकेण्डरी स्कूल उरमाल विकासखण्ड, मैनपुर, जिला–गरियाबंद में भवन निर्माण का प्रावधान नहीं है।

(2) देवभोग में कन्या छात्रावास खोलने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 15

अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

मतदेय राशि **रूपये 2,63,86,42,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 50

श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बलौदा बाजार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य सड़के और पुल निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 83

अनुसूचित जनजाति उपयोजन के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

मतदेय राशि रूपये 1,22,21,00,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 49

कोई भी कटौती प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं।

मांग संख्या – 27

स्कूल शिक्षा

मतदेय राशि रूपये 56,32,50,90,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 20

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) प्राथमिक शाला पीपरलोड विकासखण्ड पथरिया मुंगेली को माध्यमिक शाला में उन्नयन का उल्लेख नहीं है।

(2) विकासखण्ड बिल्हा अंतर्गत माध्यमिक शाला ग्राम कोरमी हाईस्कूल में उन्नयन हेतु उल्लेख नहीं है।

(3) माध्यमिक शाला टिकैत पेन्ड्री विकासखण्ड पथरिया, जिला–मुंगेली को हाईस्कूल में उन्नयन का उल्लेख नहीं है।

(4) हाईस्कूल खुटेरा विकासखण्ड पथरिया, जिला–मुंगेली में नवीन शाला भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(5) कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल सरगांव विकासखण्ड पथरिया, जिला–मुंगेली में अतिरिक्त 10 कमरे निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(6) विकासखण्ड पथरिया अंतर्गत हाईस्कूल मुण्डादेवरी नवीन शाला भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(7) विकासखण्ड बिल्हा अंतर्गत हायर सेकेण्डरी स्कूल बिहकुली में 5 कमरे का निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(8) विकासखण्ड बिल्हा अंतर्गत हायर सेकेण्डरी स्कूल तिफरा में 5 कमरे का अतिरिक्त निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(9) विकासखण्ड बिल्हा में हायर सेकेण्डरी स्कूल सारधा में नवीन शाला भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(10) हायर सेकेण्डरी स्कूल परसदा वार्ड क्रमांक–09 यातायात नगर बिलासपुर में नवीन शाला भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(11) विकासखण्ड बिल्हा में हायर सेकेण्डरी स्कूल लिमतरी में नवीन शाला भवन निर्माण हेतु उल्लेख नहीं है।

2. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) रायपुर के भवन विहीन स्कूलों के भवन की व्यवस्था नहीं है।

(2) शिक्षकों के वेतन विसंगति को दूर करने का उल्लेख नहीं है।

(3) सभी स्कूलों में खेल मैदान का उल्लेख नहीं है।

(4) निजी स्कूलों को शिक्षा के अधिकार की राशि भुगतान किये जाने का उल्लेख नहीं है।

(5) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के लिए राशि का उल्लेख नहीं है।

(6) विद्यार्थियों के लिए कल्याण हेतु योजनाओं का उल्लेख नहीं है।

(7) शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति की जाने का उल्लेख नहीं है।

(8) विद्यार्थियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख नहीं है।

(9) सभी स्कूलों में खेल शिक्षक की नियुक्ति किये जाने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) मुंगेली विधानसभा के ग्राम पद्मपुर में हाईस्कूल भवन की सुविधा का अभाव है।

(2) मुंगेली विधानसभा के ग्राम बैघकापा में हाईस्कूल भवन की सुविधा का अभाव है।

(3) विधानसभा मुंगेली के ग्राम भथरी विकासखण्ड मुंगेली में नवीन हाईस्कूल भवन निर्माण के प्रावधान का अभाव है।

(4) मुंगेली विधानसभा के ग्राम हरन में हाईस्कूल भवन की सुविधा का अभाव है।

(5) मुंगेली विधानसभा के ग्राम कारेसरा में नवीन पूर्व माध्यमिक शाला का अभाव है।

(6) मुंगेली विधानसभा के ग्राम भथरी में नवीन शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला का अभाव है।

(7) मुंगेली विधानसभा के ग्राम हथनी में हाईस्कूल भवन का अभाव है।

4. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) शिक्षक अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए राशि कम है।

(2) प्रौढ़ शिक्षा हेतु राशि बहुत ही कम है।

(3) अशासकीय संस्थाओं को अंशदान राशि में कटौती है।

(4) छात्राओं के लिए गणवेश हेतु राशि अपर्याप्त है।

(5) शिक्षाकर्मियों के वेतन के लिये अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये राशि शून्य है।

(6) प्रदेश के स्कूल भवनों के लिये पर्याप्त राशि नहीं है।

5. श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्राथमिक शिक्षा के लिये पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम में मध्यानह भोजन व किचन शेड का उल्लेख नहीं है।

(2) स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम में पर्याप्त शिक्षकों की भर्ती का उल्लेख नहीं है।

(3) स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में विधानसभा क्षेत्र भाटापारा में भृत्य व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भर्ती का उल्लेख नहीं है।

(4) स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पहली कक्षा के अलावा अन्य कक्षाओं में छात्र–छात्राओं की भर्ती हेतु प्रावधान की कमी है।

(5) स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की रिक्त पदों की भर्ती का प्रावधन नहीं है।

(6) प्रदेश के स्कूलों में अन्य विषय विशेषज्ञ शिक्षकों का अभाव एवं भर्ती का उल्लेख नहीं है।

(7) प्रदेश के स्कूलों में प्रयोगशाला एवं लाइब्रेरी का अभाव है, जिसका उल्लेख नहीं है।

(8) स्वामी आत्मानंद स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(9) भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के भवन विहीन स्कूलों के भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(10) स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

(11) स्कूलों में मध्यानह भोजन के गुणवत्ता बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

(12) प्रदेश में स्कूलों में कार्य कर रहे रसोइयों का मानदेय बढ़ाये जाने का उल्लेख नहीं है।

(13) जिला बलौदाबाजार भाटापारा में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

(14) शालाओं में दर्ज संख्या के आधार पर पर्याप्त कमरों की व्यवस्था करने का उल्लेख नहीं है।

(15) भवन विहीन स्कूलों में भवन निर्माण की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।

(16) स्कूल में शिक्षकों एवं अन्य रिक्त पड़े पदों पर भर्ती किये जाने का उल्लेख नहीं है।

(17) भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के सिमगा विकासखंड के किसी भी स्कूलों का उन्नयन का प्रावधान नहीं किया गया है।

(18) प्रदेश के अधिकतर स्कूलों में खेल मैदान का अभाव है, जिसका उल्लेख नहीं किया गया है।

(19) प्रदेश के छात्र–छात्राओं को गणवेश वितरण में गुणवत्ता का उल्लेख नहीं है।

(20) भाटापारा विधनसभा क्षेत्र के भाटापारा ब्लॉक के एक भी स्कूल को उन्नयन का प्रावधान नहीं किया गया है।

(21) प्रदेश के समस्त जर्जर हो चुके स्कूलों के जीर्णोद्धार का अभाव है।

(22) प्रदेश के सभी स्कूलों में शौचालय निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।

(23) भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के किसी भी स्कूल में कृषि संकाय को खोलने का उल्लेख नहीं है।

(24) प्रदेश के समस्त स्कूलों में किचन शेड निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(25) प्रदेश के समस्त जनभागीदारी से संचालित स्कूलों का शासकीयकरण करने का उल्लेख नहीं है।

(26) प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे पहली से बारहवीं तक अध्ययनरत नियमित छात्र–छात्राओं के लिए दुर्घटना व स्वास्थ्य बीमा राशि योजना का उल्लेख नहीं है।

(27) प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत स्वीपरों का मानदेय बढ़ाने का प्रावधान नहीं है।

(28) प्रदेश के सभी निजी स्कूलों में नर्सरी से बारहवीं तक पढ़ रहे छात्र–छात्राओं के लिए दुर्घटना व स्वास्थ्य बीमा योजना का उल्लेख नहीं है।

(29) भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में संकायों व स्कूल बिल्डींग व किचन शेड निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(30) प्रदेश के समस्त स्कूलों में शुद्धपेय जल व्यवस्था का अभाव है।

(31) स्कूलों के जर्जर भवनों के मरम्मत कार्य करने हेतु पर्याप्त राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

(32) भाटापारा विधान सभा के हाई स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

(33) स्कूलों के नवीन भवनों के निर्माण हेतु पर्याप्त राशि नहीं दी गई।

7. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) ग्राम–सारिसताल, विकासखण्ड–लोरमी, जिला–मुंगेली में नवीन पूर्व माध्यमिक विद्यालय प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की जाय।

(2) ग्राम–कोदवा, महंत विकासखण्ड–लोरमी, जिला–मुंगेली में नवीन हाईस्कूल प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की जाय।

(3) ग्राम–रबेली, विकासखण्ड–लोरमी, जिला–मुंगेली में नवीन पूर्व माध्यमिक विद्यालय प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान किया जाय।

(4) तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली में स्थित प्राथमिक शाला एवं पूर्व माध्यमिक शालाआं के अहाता निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाय।

8. **श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) जनभागीदारी शिक्षकों को शिक्षा विभाग में संविलियन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) विकासखण्ड जैजैपुर के शासकीय हाईस्कूल कपिस्दा में भवन निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल ओड़केरा भवन निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल काशीगढ़ में भवन निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के शासकीय हाईस्कूल भंवरेली को उन्नयन कर हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के शासकीय हाईस्कूल देवगांव को हायरसेकेण्डरी में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के शासकीय हाईस्कूल मल्दा को हायरसेकेण्डरी में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(8) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के शासकीय हाई स्कूल देवरघटा को हायरसेकेण्डरी में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(9) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के शासकीय हाईस्कूल करनौड़ को हायरसेकेण्डरी में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(10) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के शासकीय हाईस्कूल रायपुरा को हायरसेकेण्डरी में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(11) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के शासकीय हाईस्कूल बेलादुला को हायरसेकेण्डरी में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(12) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के शासकीय हाईस्कूल भोथीडीह को हायरसेकेण्डरी में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(13) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भड़ोरा को हाईस्कूल में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(14) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भातमाहुल को हाईस्कूल में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(15) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लखाली को हाईस्कूल में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(16) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला परसदा को हाईस्कूल में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(17) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला झालरौंदा को हाईस्कूल में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(18) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के प्राथमिक शाला देवरीमठ को पूर्व माध्यमिक शाला में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(19) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के प्राथमिक शाला बरकूट को पूर्व माध्यमिक शाला में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(20) विकासखण्ड क्षेत्र जैजैपुर के प्राथमिक शाला बोड़सरा को पूर्व माध्यमिक शाला में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(21) विकासखण्ड क्षेत्र जैजैपुर के ग्राम तान्दुलडीह में प्राथमिक शाला स्कूल खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

9. श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के अकलतरा विकासखण्ड के ग्राम परसदा में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) अकलतरा विकासखण्ड के ग्राम पौना में हाईस्कूल भवन का उल्लेख नहीं है।

(3) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड अकलतरा के ग्राम अकलतरी में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है।

(4) अकलतरा विधनसभा क्षेत्र के विकासखण्ड बलौदा के ग्राम करमंदा में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन का उल्लेख नहीं है।

(5) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड बलौदा के ग्राम कुरमा में हायर सेकेण्डरी सकूल भवन का उल्लेख नहीं है।

(6) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड बलौदा के ग्राम जावलपुर में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन का उल्लेख नहीं है।

(7) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड अकलतरा के ग्राम अर्जूनी में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन का उल्लेख नहीं है।

(8) प्रदेश में स्कूल सफाई कर्मचारी के मानदेय में वृद्धि का उल्लेख नहीं है।

(9) प्रदेश में स्कूल में रसोईयों के मानदेय में वृद्धि का उल्लेख नहीं है।

10. श्री विद्यारतन भसीन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के स्कूली छात्र–छात्राओं को मुफ्त सार्वजनिक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

11. श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) घुरूवागड़ी में हाईस्कूल भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(2) आड़पाथर, विकासखण्ड मैनपुर, जिला गरियाबंद में हाईस्कूल भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

(3) रूआड, विकासखण्ड छुरा, जिला गरियाबंद में हाईस्कूल भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

(4) मूड़ागांव, विकासखण्ड देवभोग हाईस्कूल का उन्नयन करने का प्रावधान नहीं है।

(5) बिन्द्रानवागढ़ अंतर्गत संचालित हाईस्कूलों में गणित विषय प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

(6) बिन्द्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित स्कूलों में रिक्त शिक्षकों की पूर्ति करने का उल्लेख नहीं है।

12. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तिल्दा ब्लॉक में शिक्षकों की कमी की पूर्ति का प्रावधान नहीं है।

(2) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बलौदाबाजार ब्लॉक के शिक्षकों की कमी की पूर्ति का प्रावधान नहीं है।

(3) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सिमगा ब्लॉक के शिक्षकों की कमी की पूर्ति का प्रावधान नहीं है।

(4) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तिल्दा ब्लॉक के कोटा, रजिया, चांपा गांवों में मरम्मत मद का उल्लेख नहीं है।

(5) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिमगा ब्लॉक ग्राम मोहरा में स्कूल भवन का प्रावधान नहीं है।

13. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बेलतरा विधानसभा के ग्राम पंचायत लिम्हा के हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

(2) बेलतरा विधानसभा के खमतराई में हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन का उल्लेख नहीं है।

(3) बेलतरा विधानसभा के चिंगराजपारा में हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन का उल्लेख नहीं है।

(4) बेलतरा विधानसभा के मटियारी में हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन का उल्लेख नहीं है।

(5) बेलतरा विधानसभा के लोफदी में हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल उन्नयन का उल्लेख नहीं है।

(6) बेलतरा विधानसभा के ग्राम पंचायत बैमा कन्या हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

(7) बेलतरा विधानसभा के ग्राम पंचायत कर्रा के हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

(8) बेलतरा विधानसभा के ग्राम पंचायत सेलर के हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

(9) बेलतरा विधानसभा के ग्राम पंचायत मोपका हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

14. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) ग्राम पोरियाडीह हाईस्कूल को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करना शामिल नहीं है।

(2) शत् प्रतिशत शासकीय अनुदान शालाओं में भर्ती प्रक्रिया रोक हटाने का उल्लेख नहीं है।

(3) धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम–पोटियाडीह में हाईस्कूल भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

(4) धमतरी विधान सभा क्षेत्र में नगर पंचायत आमदी, ढोनर, मोगरागहन में जिला सहकारी बैंक रायपुर की शाखा खोलने का उल्लेख नहीं है।

(5) धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कसावाही, मोगरागहन, देवरी में हाईस्कूल भवन निम्राण करने का उल्लेख नहीं है।

(6) धमतरी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बिरेतरा, कुर्रा, रूद्री, संबलपुर में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

15. श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.

(1) पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत चण्डीपारा के पूर्व माध्यमिक विद्यालय को हाईस्कूल में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

(2) पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जर्जर व भवन विहीन विद्यालयों के लिए भवन निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।

(3) पामगढ़ विधानसभा के ग्राम कोसा के हाईस्कूल को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 17

सहकारिता

मतदेय राशि रूपये 2,57,58,91,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 15

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

    (1) नगर पंचायत सरगांव के अपूर्ण सहकारी बैंक भवन को पूर्ण करने प्रावधान नहीं है।

    (2) ग्राम पंचायत दगौरी में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोलने का उल्लेख नहीं है।

    (3) बडरा (द) में सहकारी बैंक खोलने का उल्लेख नहीं है।

2. **डॉ. रमन सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

    (1) प्रदेश में पिछले वर्ष खरीदी गई धान में से खराब हुए धान के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

    (2) प्रदेश में धान की बिक्री पर किसानों को दो साल का बकाया बोनस देने पर चर्चा का उल्लेख नहीं है।

3. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

    (1) किसानों के धान/फसल बर्बाद होने पर किसानों का मुआवजा देने का उल्लेख नहीं है।

    (2) नवा रायपुर में धरना दे रहे किसानों को मांग का कोई उल्लेख नहीं है।

    (3) धान बेचने से वंचित किसानों को अवसर उपलब्ध करने का उल्लेख नहीं है।

    (4) कृषि उपज मंडी में एम.एस.पी. पर धान फसल खरीदी करने का उल्लेख नहीं है।

4. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

    (1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण हेतु राशि हेतु राशि की कटौती की गई है।

    (2) सहकारी ऋण समितियों को सहायता की राशि अपर्याप्त है।

    (3) प्राथमिक कृषि साख समितियों का कम्प्यूटरीकरण करने हेतु राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

5. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

    (1) प्रदेश में धान बिक्री पर किसानों को दो साल का बकाया बोनस दिये जाने का कोई प्रावधन नहीं है।

    (2) 2500/– रूपये प्रति क्विंटल में धान खरीदने का उल्लेख नहीं है।

    (3) पंजीयन से वंचित किसानों का धान खरीदने के लिए योजना का उल्लेख नहीं है।

    (4) किसानों के रकबा कटौती में सुधार हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

    (5) बारदाने की कमी के कारण धान खरीदी बंद रहने की अवधि बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

    (6) नवीन सहकारी बैंकों की स्थापना किये जाने का प्रावधान नहीं है।

(7) किसानों की रबी फसल की धान खरीदी का कोई उल्लेख नहीं है।

(8) सोसायटियों में धान को सुरक्षित रखने हेतु पर्याप्त संसाधनों का अभाव है।

(9) नवीन सहकारी शक्कर कारखाना खोलने का प्रावधान नहीं है।

(10) धान बेचने से वंचित किसानों को अवसर प्रदान/उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

(11) सहकारिता विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने का उल्लेख नहीं है।

(12) कृषि उपज मंडी में एम.एस.पी. पर धान खरीदी करने का प्रावधान नहीं है।

(13) किसानों का एक–एक दाना खरीदने का कोई उल्लेख नहीं है।

(14) प्रति एकड़ 15 क्विंटल से अधिक धान खरीदने हेतु कोई प्रावधन नहीं है।

(15) किसानों को बारदाने का 55 रूपये प्रति बोरा भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) सभी किसानों का सभी प्रकार का कर्जा माफ किये जाने के वादे को पूरा करने का उल्लेख नहीं है।

(2) राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लिए किसानों का कर्जा माफ का उल्लेख नहीं है।

(3) बेलतरा विधानसभा अंतर्गत धान खरीदी केन्द्र बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

7. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तिल्दा ब्लॉक के ग्राम मोहगांव व कोटा में पी.डी.एस. भवन का उल्लेख नहीं है।

(2) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रसेड़ा में पी.डी.एस. भवन का उल्लेख नहीं है।

8. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

ग्राम–गुथापुर, विकसखण्ड–लोरमी, जिला–मुंगेली में कार्यरत कृषि सरकारी साख समिति के कृषि भूमि पर काबिज कृषकों को कृषि भूमि का पट्टा प्रदान किया जाय।

9. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में नवीन शक्कर कारखाना खोलने का उल्लेख नहीं है।

(2) धान के बोरा की कमी को दूरे करने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 20

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

मतदेय राशि **रूपये 8,69,54,79,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 34

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**
   - (1) भू–जल स्तर में वृद्धि करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
   - (2) बिल्हा में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अनुविभागीय कार्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
   - (3) दगोरी में सामुदायिक जल प्रदाय योजना का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

2. **डॉ. रमन सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   राजनांदगांव जिले में समस्त औपचारिकता पूर्ण ट्यूबवेल के लंबित आवेदनों के निराकरण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

3. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   जल स्त्रोतों में सर्वेक्षण और अनुसंधान हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

4. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   - (1) प्रदेश में गिरते जलस्तर पर रोक लगाने का कोई प्रावधान नहीं है।
   - (2) प्रदेश के गांवों में नल–जल योजना का कोई प्रावधान नहीं है।
   - (3) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था के स्थायी समाधान का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
   - (4) प्रदेश में भू–जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
   - (5) भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों में सोलर पंप नलकूप लगाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
   - (6) प्रदेश में सार्वजनिक स्थल, हाट बाजार, शमशान घाट में पेयजल सुविधा हेतु नलकूप व्यवस्था करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
   - (7) प्रदेश के समस्त स्कूल, कॉलेज में शुद्ध पेयजल व नलकूपों का कोई उल्लेख नहीं है।
   - (8) भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों में नये नलकूप खनन व बंद पड़े नलकूपों को सुधारने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
   - (9) भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के 2000 से अधिक आबादी वाले सभी ग्रामों में नलजल योजना स्वीकृत करने का कोई उल्लेख नहीं है।
   - (10) प्रदेश में ग्रीष्मकाल के समय में पेयजल आपूर्ति का कोई उल्लेख नहीं है।
   - (11) प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के समस्त कार्यालयों में संविदा व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(12) पेयजल की व्यवस्था सुलभ करने के लिए प्रत्येक गांवों में हेंडपंप में सबमर्सिबल पंप लगाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(13) नलजल योजना का लाभ ग्रामीणों को उचित ढंग से पहुंचाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(14) प्रदेश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल एवं निस्तारी जल की व्यवस्था करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(15) प्रदेश के समस्त ग्रामों में पानी टंकी निर्माण करने का कोई प्रावधान नहीं है।

5. श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

भू–जल स्तर में वृद्धि करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

6. श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अमले में वृद्धि करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(2) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम–नरियरा में जल–जीवन मिशन का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

7. श्री विद्यारतन भसीन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बोर खनन के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

8. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बलौदाबाजार विधानसभा के अंतर्गत सिमगा ब्लॉक ग्राम–मुड़पार में पाईप लाईन का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) बलौदाबाजार विधानसभा के अंतर्गत सिमगा ब्लॉक ग्राम–सफरी में पाईप लाईन का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) बलौदाबाजार विधानसभा के अंतर्गत तिल्दा ब्लॉक ग्राम–मोहगांव में पाईप लाईन का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) बलौदाबाजार विधानसभा के अंतर्गत तिल्दा ब्लॉक ग्राम–छपोरा में पाईप लाईन का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) बलौदाबाजार विधानसभा के अंतर्गत बलौदा ब्लॉक ग्राम–कंजी में पाईप लाईन का कोई उल्लेख नहीं है।

9. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बिलासपुर नगर–निगम क्षेत्र अंतर्गत राजकिशोर, चांटीडीह, चिंगराज पारा, गणेश नगर फदहाखार में पेयजल संकट दूर करने का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 56

ग्रामोद्योग

मतदेय राशि — रूपये 1,17,81,34,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 48

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) ग्रामोद्योग को उन्नत करने के लिए प्रशिक्षण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
   (2) ग्रामोद्योग को आगे बढ़ाने के लिए कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं किया गया है।

2. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) खादी एवं ग्रामोद्योग हेतु राशि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
   (2) रेशम कीट पालन उद्योग हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
   (3) शिल्पकारों और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण हेतु राशि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

3. **श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   रेशम उद्योग हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

4. **श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   नगर पंचायत लोरमी जिला–मुंगेली के वृहद पेयजल योजना की स्वीकृति प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

5. **श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के कोसा उद्यानों में शेड निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

6. **श्री विद्यारतन भसीन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   प्रदेश के शिल्पकार एवं बुनकरों को रोजगार मुहैया कराने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

7. **श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   बिन्द्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बुनकरों के विकास का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

8. **श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   प्रदेश के बुनकरों को धागा व अन्य सामान की सतत आपूर्ति व नियमित भुगतान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 11

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से सबंधित व्यय

मतदेय राशि रूपये– 3,45,94,35,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –11

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) बिलासपुर जिले के उद्योगों एवं औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) अधोसंरचना की मजबूती के लिए पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) प्रत्येक जनपद मुख्यालयों में फूडपार्क बनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) बिल्हा में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना कर किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

2. **डॉ. रमन सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

राजनांदगांव जिले में स्थापित बी.एम.सी मिल को चालू करने का कोई उल्लेख नहीं है।

3. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) प्रदेश के उद्योगों में लगातार हो रही दुर्घटना को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) लघु उद्योगों के लिए राशि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(3) औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(4) रायपुर में आई.टी. पार्क की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) 200 फूडपार्क के लिए बजट का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) उद्यानिकी नीति लागू करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) प्रत्येक ब्लॉक में फूडपार्क स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

4. **श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) मुंगेली विधानसभा में वृहद/मध्यम लघु उद्योगों की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) मुंगेली जिला में फूडपार्क के स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) मुंगेली विधानसभा में औद्योगिक क्षेत्र के विकास का कोई उल्लेख नहीं है।

5. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) उद्योगों के ब्याज अनुदान की पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों को सहायता राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) लघु उद्योग के लिए पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु प्राप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

6. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अधोसरंचना विकास हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(2) लघु एवं वृहद उद्योगों हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश के प्रत्येक विकासखंडों में फूडपार्क की स्थापना के लिये पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) भाटापारा में फूडपार्क की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) भाटापारा विधानसभा के औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिये पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) बलौदाबाजार, रायपुर, बिलासपुर में आई.टी. पार्क की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) बंद पड़े लघु तथा वृहद उद्योगों को प्रारंभ करने की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

(8) प्रदेश के उद्योग विहिन जिलों में उद्योग स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

(9) प्रदेश के बड़े उद्योगों में हो रही दुर्घटनाओं की रोकथाम का कोई उल्लेख नहीं है।

7. श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

मीन उद्योग पर पंजी परिव्यय की पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

8. श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) जांजगीर–चांपा जिले मे एथेनॉल प्लांट की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) अकलतरा विकासखण्ड क्षेत्र के ग्राम–कापन में शक्कर कारखाना का कोई उल्लेख नहीं है।

9. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के सोनाडीह न्यू विष्ठा सीमेंट प्लांट में सुरक्षा का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम–खपराडीह के श्री सीमेंट प्लांट में स्थानीय नागरिकों को रोजगार देने का कोई उल्लेख नहीं है।

10. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में उद्योगों की स्थापना हेतु सरकार की किसी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश के उद्योगों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण के रोकथाम का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) लघु उद्योग को बढ़ावा देने का कोई उल्लेख नहीं है।